...र प्रदेश राज्य औद्योगिक
...स निगम लिमिटेड

upsidc

ए–1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं0 1050,
कानपुर–208 024
दूरभाष : 2582851–53
वेबसाईट : www.upsidc.com
ई-मेल : feedback@upsidc.com

संख्या   /एसआईडीसी–आईए–पालिसी वाल्यूम–15   दिनांक –

–: कार्यालय आदेश :–

निगम के निदेशक मण्डल की 278वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें निगम द्वारा विकसित भूखण्डों का आवंटन के पश्चात ट्रेसिंग में क्षेत्रफल वृद्धि, भौतिक कब्जा देते समय अथवा अन्य कारणों से क्षेत्रफल में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो उनमें बढ़े हुये क्षेत्रफल में से 20 प्रतिशत तक की सीमा तक आवंटित दर एवं बढ़े हुये क्षेत्रफल की 20 प्रतिशत से अधिक की सीमा पर वर्तमान दर लागू की जाए। ऐसे सभी प्रकरण जिनमें आवंटियों द्वारा बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 20 प्रतिशत से अधिक होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है [illegible] विरोध प्रकट किया गया हो अथवा निगम की माँग के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया हो तो ऐसे सभी प्रकरणों में यदि उद्यमी उक्त नीति के अनुसार भुगतान करने पर सहमत हो तथा माननीय न्यायालय में दायर वाद वापस लेने को तैयार हो तो उन्हें यह सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान कर दी जाए कि वह यह सुविधा आवंटित भूखण्ड के लिये प्रथम बार ले रहा है।

निदेशक मण्डल का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 736-750/एसआईडीसी–आईए–पालिसी वाल्यूम–15   दिनांक 25-6-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक कैम्प/वैयक्तिक सचिव संयुक्त प्रबन्ध निदेशक कैम्प
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्र प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner